तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	रामनारायण बनाम सुन्दरी को प्रा०पत्र 151 CPC मु०नं०-181/2022
28.12.2022	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी को खारिज किया जाता है। प्रकरण में विस्तृत निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 28/12/22 (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.10 12:16:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक), श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस नं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
181 / 2022	2022 / 265	20.10.2021	28.12.2022

उनवान प्रकरण

रामनारायण पुत्र बालूराम यादव जाति अहीर निवासी ढाणी झाणी डेरा तन ग्राम मडुस्या तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

वादी / अप्रार्थी

बनाम्

1. सुन्दरी देवी पत्नि भगवान सहाय जाति यादव निवासी ढेरा वाली ढाणी तन मडुस्या तहसील श्रीमाधोपुर
2. जमनलाल पुत्र रामेशवर लाल यादव निवासी ढाणी ढेरावाली तन मडुस्या तहसील श्रीमाधोपुर
3. धन्नीदेवी पत्नि बंशीधर उम्र 53 वर्ष जाति अहीर
4. महेन्द्र पुत्र रामेश्वर उम्र 42 वर्ष जाति अहीर समस्त निवासी ढाणी ढेरा वाली तन मडुस्या तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
5. विकास पुत्र जमनलाल यादव निवासी ढाणी ढेरा वाली
6. रोहित पुत्र श्रवणलाल यादव तनु मडुस्या श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 वगैरह

––प्रतिवादी / प्रार्थी

उपस्थितः–

श्री अमित कुमार ठठेरा, एड0 वादी / अप्रार्थी का अभिभाषक।

श्री विक्रम सिंह बांकावत, एड0 अप्रार्थी संख्या 1, 2, 5 व 6 की ओर से अभिभाषक।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 दिलाये जाने पुलिस इमदाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.10 12:16:16 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि उनवानी दावा 27.12.1990 से विचाराधीन चल रहा है। जिसके संलग्न उक्त उनवानी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 343/1990 बी0टी0न0 553/1999 में उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर दिनांक 15.03.2001 को बहक प्रार्थी निर्णय पारीत कर दिनांक 27.12.1990 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को दावा के निर्णय होने तक कतई कर दिया गया था। अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 4 को दावा का निर्णय होने तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबन्द कर दिया गया था। जो स्टे आदेश आज भी चल रहा है। आज भी जारी व प्रभावी हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र दावा हाजा में पेश किया जा रहा हैं। वादग्रस्त कृषि भूमि पुराना खसरा नम्बर 643 रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा जिसका नवीन खसरा नम्बर 316 रकबा 1.61 है0 तन ग्राम मण्डूस्या तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में स्थित हैं। उक्त पुराना ख0 न0 643 रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा नया खसरा नम्बर 316 की सम्पूर्ण भूमि पर परवक्त प्रथम सैटिलमेन्ट पूर्व से, वक्त बुजुर्गान विरासत काल से प्रार्थी/वादी का युक्तियुक्त वास्तविक व सद्भाविक कब्जा काश्त आज दिन तक लगातार चला आ रहा है। इस भूमि पर हमेशा की भांति गत फसल प्रार्थी/वादी ने बाह जोत व काश्त कर काटी थी व वर्तमान मौजूदा खरीफ की फसल बाजरा मूंग आदि की प्रार्थी/वादी ने मौके पर बाहजोत व काश्त कर रखी हैं। सम्वत् 2012 से बनी तमाम खसरा गिरदावरियां में उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि पर प्रार्थी/वादी एवं पिता प्रार्थी/वादी द्वारा फसल जीन्स काश्त की जाना व कब्जा काश्त होना स्पष्ट अंकित है। उक्त कृषि भूमि बाबत दिनांक 29.10.1980 को मौका कमिश्नर भू–अभिलेख निरीक्षक, अजीतगढ द्वारा उभय पक्षकारान एवं मौजीज गणमान्य व्यक्तियों एवं हल्का पटवारी के समक्ष राजस्व रिकार्ड व मौका की भौतिक स्थिति का मौका देखा गया था व पडौसी काश्तकारों के बयान लिए थे। जिसमें उक्त पुराना खसरा नम्बर 643 रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा संपूर्ण भूमि पर विरासतकाल से प्रार्थी/वादी का कब्जा प्रमाणित होने बाबत मौका कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी व गवाहान ने उक्त भूमि का विरासतकाल से कब्जा प्रार्थी/वादी के पास होने बाबत बयान किए

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.10 12:16:16 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

थे। इसके पश्चात न्यायालय सहायक कलेक्टर, श्रीमाधोपुर में सन् 1980 से विचाराधीन दावा उनवानी राधेश्याम वगैरह बनाम् रामनारायण वगैरह मुकदमा नम्बर 353/1980 में प्रार्थी/वादी के विपक्षीगण/वादीगण राधेश्याम व विनोदकुमार महाजन ने स्वयं खुद ने अपने–अपने बयानों व जिरह में उक्त खसरा नम्बर 643 रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा संपूर्ण भूमि पर विरासत काल से प्रार्थी/वादी व पिता प्रार्थी/वादी का कब्जा काश्त होना बखूबी स्वीकार किया है। साथ ही साथ अन्य गवाहान ने भी उक्त भूमि का कब्जा प्रार्थी/वादी के पास होने बाबत ही बयान दिए थे। बाद में इस दावा में अपनी हार होना निश्चित जानकर हार के डर से इस दावा के वादीगण राधेश्याम वगैरह ने गुपचुप में दावा विड्रा कर लिया था व मैदान छोडकर भाग गए थें। इसके पश्चात् सन् 1990 में न्यायालय सहायक कलेक्टर श्रीमाधोपुर के आदेश से कोस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी रामनारायण बनाम विनोद कुमार वगैरह मुकदमा नम्बर 229/1989 में दिनांक 01.01.1990 को मौका कमिश्नर श्री रामजीलाल मिश्रा वकील द्वारा मौका देखा गया था। जिसमें उक्त भूमि पुराना खसरा नम्बर 643 के अन्दर बनी गुवाडी घर पर प्रार्थी/वादी के बच्चे व पत्नि सोनीदेवी खडी होने की रिपोर्ट पेश की थी। प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 नुमाईशी विक्रय पत्र दिनांक 22.11.1990 की आड में हल्का पटवारी से वादग्रस्त खसरा नम्बर 316 अपने नाम से नामान्तकरण संख्या 20 गुपचुप में भरवा लिया था व बाद में इस नामान्तकरण को स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष पेश करने पर ग्राम पंचायत द्वारा वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 316 पर विक्रेताओं एवं क्रेताओं दोनों का मौके पर कब्जा नहीं होने के कारण व विरासतकाल से प्रार्थी/वादी का कब्जा होने के कारण दिनांक 29.12.1990 को संकल्प संख्या 3(बी) पारीत कर दिनांक 31.12.1990 को सर्वसम्मति से उक्त नामान्तकरण संख्या 20 खारीज कर दिया गया था। ग्राम पंचायत के इस निर्णय को प्रतिवादीगण द्वारा आज दिन तक कहीं भी चुनौति नहीं दिए जाने के कारण ग्राम पंचायत का उक्त निर्णय कानूनन अन्तिम व कतई हो चुका है। नामान्तकरण संख्या 20 खारीज होने के [illegible] साल बाद असलियत छुपाकर प्रतिवादीगण ने बाला–बाला अपने नाम [illegible] नामान्तकरण संख्या 749 भराया व इस फर्जी नामान्तकरण पर किता दो आदेश ''मुख्तार पेश करें'' व ''विक्रय पत्र 1990 का कारण पूरा करें'' पारीत किए जाने के बावजूद फर्जीहात द्वारा गैरकानूनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.10 12:16:16 IST
Reason: SelfAttested

20/12/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

रूप से नामान्तरकण स्वीकार करा प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 द्वारा फर्जी तरीके से खातेदारी हासिल कर ली गई। प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 व इनके परिजनों के विरूद्ध प्रार्थी के पुत्र रामकुंवार उर्फ देवकरण ने पुलिस थाना अजीतगढ में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0355/14.12.2020 दर्ज करवाई थी। जिसमें अनुसंधान अधिकारी ने सम्वत् 2018 से वादग्रस्त खसरा नम्बर 316 की संपूर्ण भूमि पर प्रार्थी का कब्जा प्रमाणित होना माना है। दिनांक 15.04.2021 को प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 व इनके परिजनों ने प्रार्थी की कब्जाशुदा भूमि खसरा नम्बर 316 में से कुछ वर्गगज जमीन पर पत्थर व बजरी लाकर डालने व प्रार्थी को जान से मारने को दौडने के जुर्म में धारा 151 सी0आर0पी0सी0 के तहत पुलिस थाना अजीतगढ ने प्रतिवादी नम्बर 2, प्रतिवादी नम्बर 2 के पुत्र विकास एवं रोहित पुत्र श्रवण को गिरफ्तार किया व बाद में बीस–बीस हजार के जमानत मुचलकों पर रिहा किया गया था। कोरोना महामारी के प्रकोप से प्रदेश में सैकण्ड लोकडाउन लगा हुआ होने एवं अदालते बंद होने का अनुचित लाभ उठाकर प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 बसाज मुकामी पुलिस माह मार्च, 2021 में धनबल, लट्ठबल, जनसंख्या बल, राजनैतिक व पुलिस बल के दम पर प्रार्थी वादी की उक्त कब्जा काश्त शुदा भूमि खसरा नम्बर 316 रकबा 1.61 है0 में से कुछ एक वर्गगज भूमि पर जोर शोर से रात दिन एक कर अवैध मकान का निर्माण कार्य करने लगे तो प्रार्थी/वादी ने इसकी बार–बार व अनेकों बार पुलिस थाना अजीतगढ को शिकायत कर वस्तुस्थिति से अवगत कराने के बावजूद भी पुलिस थाना अजीतगढ ने प्रार्थी/वादी की कोई सुनवाई व कार्यवाही नहीं की तो प्रार्थी के पुत्र रामकुंवार उर्फ देवकरण ने इसकी शिकायत श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज जयपुर व श्रीमान जिला कलक्टर सीकर को की जिस पर श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस जयपुर, श्रीमान जिला कलेक्टर, सीकर व श्रीमान पुलिस अधीक्षक, सीकर द्वारा तुरन्त अत्यावश्यक एक्सन लेने व प्रभावी आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश जारी किए जाने के बावजूद भी पुलिस थाना अजीतगढ द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई और [illegible]गण नम्बर 1 ता 4 द्वारा पुलिस की अनुकम्पा द्वारा अवैध [illegible]या गया। इसके पश्चात् प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 [illegible] के बाद माह जून–जूलाई, 2021 में धनबल, लट्ठबल, जनसंख्या बल, राजनैतिक व पुलिस बल के दम पर अवैध

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.10 12:16:16 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह

अतिक्रमित नोहरा, पानी का टैंक, लैट्रिन–बाथरूम का निर्माण कर दीगर स्थान पर दीगर नाम से लगे काफी पुराने विद्युत संबंध द्वारा विद्युत पोल खडा कर व विद्युत मीटर टांग कर रोशन कर लिया गया और अब मुकामी थाना पुलिस का पूरा–पूरा सपोर्ट पाकर प्रार्थी की कब्जा काश्त शुदा खसरा नम्बर 316 में शेष बची भूमि पर वर्तमान में मौके पर खडी प्रार्थी की खरीफ की फसल बाजरा व मूंग वगैरह को जबरन काटकर लूटने व शेष बची भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा जमाने व जमीन हडपने की कुचेष्टा में जोर शोर से लगे हुए हैं। उक्त विवादित खसरा नम्बर 316 रकबा 1.61 है0 सम्पूर्ण भूमि प्रार्थी/वादी की कब्जाशुदा भूमि है। प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 ने जो विक्रय पत्र व खातेदारी हांसिल कर रखी है। वह सब फर्जी हांसिल की हुई है। मोके पर विरासत काल से आज भी युक्तियुक्त, वास्तविक व सद्‌भाविक कब्जा प्रार्थी/वादी के पास होना बखूबी प्रमाणित व सिद्ध है। मौके पर खडी फसल बाजरा व मूंग प्रार्थी/वादी की स्वयं खुद की है। प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 अजनबी, फर्जी व स्ट्रेन्जर परसन मात्र हैं, काफी खूंखार व भूमाफिया लोग हैं। जिनका मुकाबला करने में प्रार्थी/वादी पूर्णतः अशक्त, कमजोर, बेबस व असमर्थ है और फसल बाजरा व मूंग पकने पर जैसे प्रार्थी/वादी फसल को काटने जायेगा। प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 व इनके परिवारजन प्रार्थी/वादी को जान से अवश्य ही खत्म कर देंगे और प्रार्थी की इस फसल को जबरन काटकर लूटकर ले जावेगे। मौके पर स्थित बहुत नाजुक, गम्भीर, भयावह व नुक्जे अमन की बनी हुई है। मौके पर खून खराबा होने व प्रार्थी/वादी व उसके परिजनों की जान जाने का पूरा–पूरा खतरा व अन्देशा बना हुआ है। इसलिए न्यायहित में प्रार्थी/वादी को पुलिस ईमदाद उपलब्ध करवाई जाना एवं जरिए पुलिस ईमदाद प्रार्थी की फसल बाजरा, मुंग वगैरह को शांतिपूर्वक कटवाई जाना अत्यावश्यक एवं न्यायोचित है। इसलिए प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया हैं। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन है कि न्यायहित में प्रार्थी/वादी को पुलिस इमदाद उपलब्ध करवाई जाने [illegible] पुलिस ईमदाद खसरा नम्बर 316 में खडी प्रार्थी की फसल बाजरा व मूंग आदि को शांतिपूर्वक कटवाई जाने का आदेश फरमाया जावे और अगर प्रतिवादीगण किसी प्रकार आपराधिक कृत्य करें तो उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने का आदेश भी फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.10 12:16:16 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.10 12:16:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायहित में प्रार्थी/वादी को पुलिस इंमदाद उपलब्ध करवाई जाने एवं जरिए पुलिस इंमदाद प्रार्थी की फसल बाजरा, मुंग वगैरह को शांतिपूर्वक कटवाई जाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन है कि न्यायहित में प्रार्थी/वादी को पुलिस इमदाद उपलब्ध करवाई जाने एवं जरिए पुलिस ईमदाद खसरा नम्बर 316 में खडी प्रार्थी की फसल बाजरा व मूंग आदि को शांतिपूर्वक कटवाई जाने का आदेश फरमाये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

वही दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने अवगत कराया कि उक्त वादग्रस्त संपदा पर कभी भी प्रार्थी या उसके बुजुर्गान का कब्जा काश्त नही रहा तथा ना ही उक्त भूमि से किसी प्रकार का हक सरोकार रहा। बल्कि अप्रार्थीगण उक्त भूमि पर पूर्णतया काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा सुंदरी देवी प्रतिवर्ष की फसल उपज करके अपना तथा अपने परिवार का जीवनयापन करते चले आ रहे हैं। उस वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थीगण पूर्णतया कई वर्षो से काबिज काश्त चले आ रहे हैं। अर्सा करीब 23 वर्षो पूर्व सन् 1999 में पुख्ता आवासीय मकान बनाया था। जिसमें परिवार सहित आबाद है। जिसमें विद्युत कनेक्शन भी वर्ष पूर्व ले लिया था। जिसमें नोहरा, पानी का टेंक, लेट्रिन बाथरूम आदि का भी निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी का इस भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है बल्कि अप्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त रहा हैं। अप्रार्थीगण ही इस भूमि पर काबिज काश्त होकर प्रतिवर्ष की फसल काश्त करते हुए उस भूमि में उपज करते चले आ रहे हैं। उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण काबिज काश्त होकर व मकानात बनाकर मय परिवार आबाद चले आ रहे है। प्रार्थी के द्वारा कोई फसल काश्त नहीं की गई तथा न ही तथाकथित रूप से मुंग व बाजरा की फसल काश्त की गई। बल्कि उस मुंग की फसल अप्रार्थीगण द्वारा काश्त करने के बाद फसल पकने के बाद अप्रार्थीगण ने ही मुंग व बाजरा की फसल काटी हैं। यदि प्रार्थी द्वारा मुंग व बाजरा की फसल काश्त की गई होती तो उस फसल अप्रार्थीगण द्वारा काटे जाने पर चोरी का मुकदमा अवश्य दर्ज करवाता। वास्तविकता यह है कि प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी की आड में फसल काटने की आड में पुलिस ईमदाद लेकर उक्त भूमि पर अवैध रूप तरीके से कब्जा करना चाहता हैं जिसका उसको किसी प्रकार का विधिक अधिकार नहीं है। उक्त भूमि ख0न0 316 के अप्रार्थीगण रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार चले आ रहे हैं। जिससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.10 12:16:16 IST
Reason: SelfAttested

Rathore 20/12/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रार्थी का किसी प्रकार का हक सरोकार नही है तथा न ही किसी प्रकार की कब्जा काश्त है। प्रार्थी द्वारा पुलिस इमदाद की आड़ में उस भूमि पर कब्जा करने की कलुषित मानसिकता को पुरी करने के लिए नितांत विधि विरूद्ध तरीके से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिसे खारिज किये जाने का निवेदन वकील अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में किया है।

हमनें वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस ध्यानपूर्वक सुनी व बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं वकील प्रार्थी द्वारा फर्द दस्तावेजात् के संलग्न किता 21 दस्तावेजात् का एंव राजस्व रिकॉर्ड अतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी में दर्ज वादग्रस्त आराजी भूमियों की खातेदारी मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 में खातेदारी अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 के नाम से वर्तमान में दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रकट होता है। जिस पर अप्रार्थीगण के द्वारा आवासीय मकान, नोहरा, पानी का टेंक इत्यादि बनाकर मय परिवार काबिज व आबाद चले आना तथा उक्त खातेदारी भूमि पर फसल काश्त कर उपज प्राप्त करना तथा अपने परिवार का पालन पोषण कर जीवन यापन करना प्रकट होता है। जहॉ तक प्रार्थी का कथन है कि न्यायालय सहायक कलक्टर के द्वारा बाद उभय पक्षकारान् की बहस उपरान्त दिनांक 27.12.1990 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.03.2001 के द्वारा दावा के निर्णय होने तक मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द करना तथा उक्त वादपत्र के आज दिनांक तक न्यायालय में विचाराधीन होना प्रकट होता है। उक्त निर्णित प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में न्यायालय द्वारा केवल मात्र उभय पक्षों को वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 316 के मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु निर्णय आदेश दिनांक 15.03.2001 [illegible] किया गया है। जिसकी आदेशिका की फोटो प्रति संलग्न है। उक्त पारित आ[illegible] में किसी भी प्रकार की पुलिस इमदाद से फसल काश्त करवाये जाने या काश्त [illegible] गई फसल को कटवाये जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.10 12:16:16 IST
Reason: SelfAttested

28/12/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

का कोई आदेश पारित नहीं किया जाना रिकार्ड से प्रकट होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी बाबत दिलवाये जाने पुलिस इमदाद से फसल कटवाये जाने बाबत स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी बाबत दिलवाये जाने पुलिस इमदाद से फसल कटवाये जाने बाबत स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाए जाने पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

28/12/22

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 28.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.10 12:16:16 IST
Reason: SelfAttested

28/12/22

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)